प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 018

परिपत्र-08

सं.प्रनिलेप(के)/दावा ।।/ युनिट-V/एल एवं ए/ 2021-22/40 दि. 19.08.2021

तैयार निर्मित घर/फ्लैट की खरीद एवं गृह के निर्माण या बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए गृह ऋण के माईग्रेशन के लिए "गृह निर्माण अग्रिम" के लिए इस कार्यालय के पदधारियों से आवेदन की मांग की जाती है।

1. सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।
2. जिन पदधारियों की कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा रही हो।
3. भूमि का शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए।
4. सरकारी कर्मचारी को उनकी पूरी सेवा काल के दौरान केवल एक ही अग्रिम की मंजूरी दी जाएगी।
5. ऐसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों एच बी ए के अनुदान के लिए पात्र हैं, दोनों को संयुक्त/अलग रूप से अग्रिम स्वीकार्य होंगे।
6. अग्रिम की अधिकतम राशि मूल वेतन के 34 महीने के बराबर होगी बशर्ते कि पुनर्भुगतान क्षमता या गृह/फ्लैट की लागत या निर्माण की लागत या बैंक/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए बकाया गृह ऋण की राशि या रू. 25 लाख जो भी न्यूनतम हो।
7. पुनर्भुगतान क्षमता की गणना क्रमश: 40 % मूल वेतन - मूल वेतन के 50% पर अधिकारी/कर्मचारियों के शेष सेवाकाल पर निर्भर करता है।
8. गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर ऋण के संवितरण के समय लागू दरों पर होगा ।
9. तैयार निर्मित/फ्लैट/गृह के मामले में अग्रिम राशि का एक मुश्त संवितरण होगा और गृह निर्माण के लिए दो किश्तों में प्रत्येक के लिए @50% रहेगा।
10. तैयार निर्मित/फ्लैट/गृह अग्रिम को आहरण से तीन महीने के अंदर राष्ट्रपति की ओर से सरकार को गिरवी रखना होगा। मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से गृह/फ्लैट या निर्माण की शेष लागत पूरा करने पर दूसरे प्रभार की अनुमति दी जाएगी।

11. ऐसे मामले में जहां बैकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से वर्तमान गृह ऋण पर माईग्रेशन पर सरकारी कर्मचारी, एच बी ए को जारी करने की तारीख से एक महीने के अंदर एच बी ए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है।

12. तैयार गृह/फ्लैट की खरीद के बाद या निर्माण की समाप्ति पर यह मान्यता प्राप्त बीमा संस्थानों के साथ बीमाकृत होनी चाहिए जो कि आग, बाढ़, बिजली आदि के समक्ष में - अग्रिम राशि से कम न होनी चाहिए।

13. एच बी ए की मदद से गृह/फ्लैट निर्मित/अर्जित को केवल आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए।

14. अधिकारी/कर्मचारी जो अग्रिम लेने के इच्छुक हैं वे 09 सितम्बर 2021 तक या उससे पहले अनुलग्नक में निर्धारित अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें। **केवल हार्ड कॉपी आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने है।**

15. प्राप्त आवेदनों के आधार पर, मुख्यालय से निधि की आवश्यकता की मांग की जाएगी।

(यह प्रनिलेप(के) के दिनाकं 18.08.2021 के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है)

डी- के- रामप्रसाद

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा अनुभाग

प्रति:

1. सूचना पट्ट/आर ए यूनिट
2. सभी अनुभाग – नियंत्रण अनुभाग कृपया पार्टी के सदस्यों को जानकारी भेज दें।
3. हिंदी अनुभाग - अनुवाद के लिए
4. वलेपअ /ईडीपी-इस कार्यालय के सभी पदधारियों को एसएमएस/ई-मेल भेजने तथा कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

एसएमएस मेसेज : आर ई वर्ष 2021-22 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 09.09.2021 है। आगे के विवरण हेतु अपने कार्यालयीन वेबसाइट का संदर्भ लेने की कृपा करें।